138

संख्या /xxxvi(3)/2016/68(1)/2015

प्रेषक,

जय देव सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

विभागाध्यक्ष,
राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, **देहरादूनः दिनांकः 06 फरवरी, 2016**

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल वित्तीय वर्ष, 2015–16 के लिए, राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग के अधिष्ठान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 5,65,000/–(रू0 पांच लाख पैंसठ हजार) मात्र आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(धनराशि हजार रू0 में)

क0सं	**योजना/मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	07– मानदेय	**565**
	योगः–	**565**

(रू0 पॉच लाख पैंसठ हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देते है कि जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, तो ऐसे संबंधित अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

3– उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।

5– उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2052–सचिवालय–सामान्य सेवायें 090– सचिवालय 16–राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग का अधिष्ठान, के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्याः 211—NP/XXVII (5)/2016 दिनांक 28 जनवरी, 2016 के निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जय देव सिंह)
प्रमुख सचिव,

सख्या 41/xxxvi(3)/2016/68 (1)/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्येक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।

3— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, डाटा सेन्टर, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

4— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर ।

5— वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जय देव सिंह)
प्रमुख सचिव।